दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना 2031

उ

पैमाना

प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र
सेक्टर डाकपत्थर

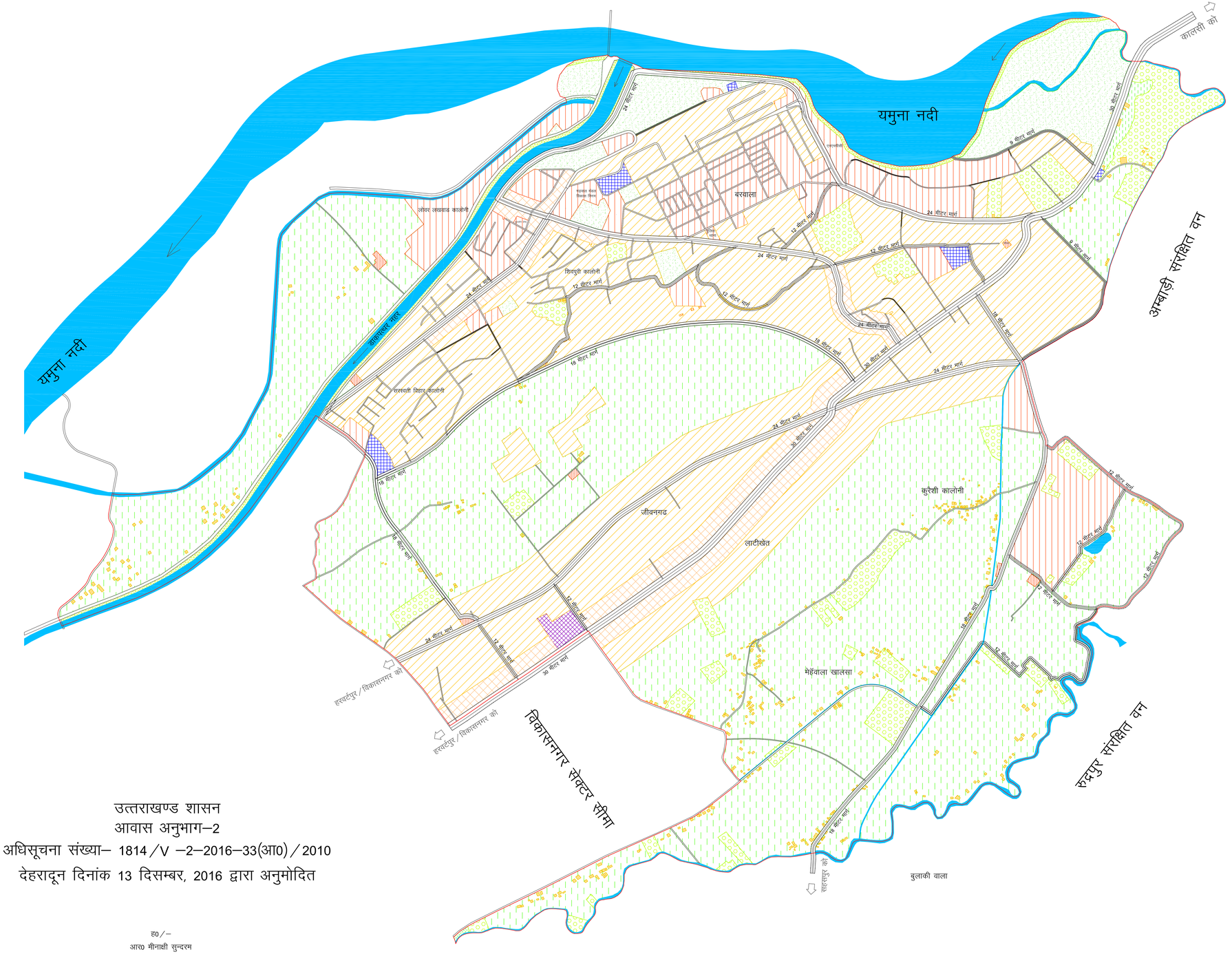

संकेतिका

(1) आवासीय (R)
- निर्मित क्षेत्र
- आवासीय क्षेत्र
- मिश्रित

(2) व्यवसायिक (C)
- व्यवसायिक

(3) औद्योगिक (M)
- औद्योगिक

(4) सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक (PSP)
- सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक

(5) मनोरंजन (P)
- मनोरंजन

(6) कृषि (A)
- कृषि

(7) विशेष क्षेत्र (S)
- उद्यान / वृक्षारोपण
- चाय बागान
- वन

(8) परिवहन (T)
- वर्तमान मार्ग
- प्रस्तावित मार्ग विस्तार
- प्रस्तावित मार्ग
- रेलवे लाईन / क्षेत्र
- T.T. ट्रक अड्डा

अन्य
- सेक्टर क्षेत्र सीमा
- अपरिभाषित क्षेत्र
- नदी / नाले

मूल सिद्धान्त

- महायोजना एक Broad Landuse Document है। पैमाना छोटा होने के कारण महायोजना में प्रमुख भू–उपयोगों के ही प्रस्ताव दिये जाते हैं। महायोजना के प्रमुख भू–उपयोगों की अपेक्षतर detailing व जोनल स्तर के भू–उपयोग के प्रस्ताव जोनल प्लान में दिये जाते हैं।
- पुनर्निर्धारित भू–उपयोग के प्रस्ताव नीति पर आधारित हैं, व्यक्तिगत भू–स्वामित्व तथा सजरा मानचित्र पर आधारित नहीं है।
- दूनघाटी महायोजना–2031 में वर्गीकृत भू–उपयोगों को यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार प्रमुख भू–उपयोग श्रेणियों के अन्तर्गत रखा गया है।
- संशोधित महायोजना जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र पर यथासम्भव यथारूप तैयार किये गये हैं।
- महायोजना–2031 मानचित्र एवं जी0आई0एस0 आधारित अद्यायधिक बेस मैप में मूल अन्तर होने के कारण विभिन्न भू–उपयोगों एवं परिसरों के आकार, डाइमेन्शन एवं फीचर्स / मार्ग आदि के परिखण्ड में अन्तर होना स्वाभाविक है।
- वृहद आकार के विभिन्न परिसरों को जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र में प्रदर्शित अनुसार दर्शाते हुये सीमा में संशोधन किया गया है। छोटे आकार के विद्यमान परिसर, जिनका सुस्पष्ट ड्राफ्टिंग महायोजना स्तर पर सम्भव नहीं है, को मानचित्र में चिन्हित नहीं किया गया है। मौके पर इनकी वास्तविक स्थिति अनुसार परिसर सीमा मानी जायेगी।
- वन विभाग से प्राप्त आरक्षित वन भूमि के अभिलेखों व आधार मानचित्र के मापक लगभग एक समान होने के दृष्टिगत वन सीमा को यथासम्भव सही लगाया गया है।
- किसी भी प्रमुख भू–उपयोग श्रेणी में मौके पर आरक्षित वन होने की स्थिति में सम्बन्धित स्थल को वन क्षेत्र के अन्तर्गत माना जायेगा। निजी भूमि से लगी वन क्षेत्र की सीमा अथवा vice versa की स्थिति होने पर ऐसे क्षेत्रों के एकल प्रकरणों में आवश्यकतानुसार वन विभाग से पुष्टि उपरान्त भू–उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनके निर्धारित औसत गहराई, स्थान, मार्गों के नाम एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार के विवरण सहित महायोजना प्रतिवेदन के परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है।
- महायोजना में प्रस्तावित मार्गों / एक्सप्रेस–वे आदि के एलाइनमेन्ट को यथासम्भव यथारूप रखा गया है। परन्तु विद्यमान मार्गों को जी0आई0एस0 आधारित आधार मानचित्र में प्रदर्शित विद्यमान मार्ग एलाईनमेन्ट के अनुसार रखा गया है।
- महायोजना प्रतिवेदन में वर्णित नदी–नालों, जिनके किनारे की भूमि में नदी की ओर 10–10 मीटर वृक्षारोपण हेतु छोड़ा जाना है, को महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस प्राविधान को बायलॉज द्वारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- उपरोक्तानुसार किये गये संशोधन अन्तर्गत मानचित्र में यदि कोई त्रुटि पाई जाती हैं तो उसे ड्राफ्टिंग त्रुटि मानते हुये महायोजना में संशोधन समझा जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
अधिसूचना संख्या– 1814 / V –2–2016–33(आ0) / 2010
देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित

ह0 / –
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव, आवास

ह0
आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
अध्यक्ष।

ह0 सचिव आवास, आवास विभाग सदस्य	ह0 प्रमुख सचिव, वित्त सदस्य	ह0 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सदस्य
ह0 चेयरमैन, उत्तराखण्ड राज्य विद्युत परिषद सदस्य	ह0 सचिव, नियोजन विभाग सदस्य	ह0 चेयरमैन, उत्तराखण्ड पेयजल निगम सदस्य
ह0 जिलाधिकारी, देहरादून सदस्य	ह0 जिलाधिकारी, पौड़ी सदस्य	ह0 जिलाधिकारी, टिहरी सदस्य

दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून, उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– 991/V-2-2017/33(आ0)/2010
देहरादूनः दिनांक 15 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (संशोधन, 2012) की धारा–11 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, शासकीय अधिसूचना संख्या–1814/V–2–2016–33(आ0)/2010, दिनांक 13–12–2016 द्वारा दूनघाटी महायोजना (2031) को स्वीकृत किए जाने की घोषणा की गयी थी।

2– शासकीय अधिसूचना संख्या–1814/V–2–2016–33(आ0)/2010, दिनांक 13–12–2016 द्वारा स्वीकृत दूनघाटी महायोजना (2031) में उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (संशोधन, 2012) की धारा–12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल निम्नानुसार संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना–2031 में तहत निर्मित सेक्टर प्लान डाकपत्थर में प्रदर्शित चकराता मार्ग की चौड़ाई 45.00 मीटर के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित 30.00 मीटर को संशोधित करते हुए 45.00 मीटर किया जाता है।

2– दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना–2031 के तहत निर्मित सेक्टर प्लान कैम्पटी में प्रदर्शित मसूरी–सिया कैम्पटी राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 45.00 मीटर के स्थान पर 24.00 मीटर किया जाता है।

3– अधिसूचना दिनांक 13–12–2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

AE

सचिव

संख्या–991(1)/V-2-2017/33(आ0)/2010–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि – संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सोमपाल)
उप सचिव

संख्या–991(2)/V-2-2017/33(आ0)/2010–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल कैम्प, देहरादून।
2– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढवाल।
5– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/नैनीताल/गंगोत्री
6– जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी/हरिद्वार।
7– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

CC

आज्ञा से,
20/9/17
(सोमपाल)
उप सचिव

कार्यालय दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
पत्र क्रम सं. 1009
पत्र प्राप्ति दिनांक 19-09-17
हस्ताक्षर लिपिक bhatt